उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–88/2023–24

सरकार
–बनाम–
दिपक कुमार साहु
आ दे श

10/11/23

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –2610/अप0शा0 दिनांक –27.09.2023 के द्वारा वादी रामनाथ राय पे0–भवसागर राय सा0–नारायणपुर थाना–तरैया जिला–छपरा (बिहार) जिला–खनन पदाधिकारी गुमला के टंकित आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं0–155/2023 दिनांक–28.12.2023 धारा–379/411 भा0द0वि0 21 खान एंव खनिज (विकास का विनियम) अधिनियम–1957, 54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004, एवं 13 झारखण्ड खनिज(अवैध खनन पर रोक परिवहन और भण्डारण) नियम–2017 तथा 4/5 विष्फोटक पदार्थ अधिनियम–1908 के तहत् अवैध रुप से पत्थर का उत्खनन कर साईज बोल्डर बनाकर मुनाफा कमाने हेतु बेचने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0 –JH07G-3260 के मालिक दिपक कुमार साहु पे0–दिलीप साहु सा0–कापरी थाना–बसिया जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला खनन पदाधिकारी, गुमला के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0 –JH07G-3260 के मालिक दिपक कुमार साहु पे0–दिलीप साहु सा0–कापरी थाना–बसिया जिला–गुमला के विरुद्ध अवैध रुप से पत्थर का उत्खनन कर साईज बोल्डर बनाकर मुनाफा कमाने हेतु बेचने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली–2004 (यथा संशोधित) के नियम–4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा–4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम–7 एवं 13 के तहत् मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी के द्वारा लगातार अनुपस्थिति रहने के कारण उनके पक्ष को नही सुना गया। ट्रैक्टर रजि0 सं0 –JH07G-3260 के मालिक दिपक कुमार साहु पे0–दिलीप साहु सा0–कापरी थाना–बसिया जिला–गुमला के विरुद्ध अवैध रुप से पत्थर का उत्खनन कर साईज बोल्डर बनाकर मुनाफा कमाने हेतु बेचने के आरोप

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

Scanned with OKEN Scanner

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त पत्थर एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त पत्थर एवं ट्रैक्टर रजि0 सं0 –JH07G-3260 को राजसात करता हूँ।

आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.02.20 17:25:23 +05:30
Location: 192.168.29.126

Scanned with OKEN Scanner